

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल :jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/कनि. लेखाकार/वरिष्ठता/अलेसे-III/2021/ 426

दिनांक :- 25.06.2021

कार्यालय आदेश

विभागीय कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.4(ई)वरिष्ठता/कनि.लेखाकार/अलेसे-III/488 दिनांक 15.04.2021 द्वारा दिनांक 01.04.2021 की स्थिति में कनिष्ठ लेखाकार (टीएसपी क्षेत्र) की अन्तरिम वरिष्ठता सूची जारी की जाकर दिनांक 30.04.201 तक लिखित अभ्यावेदन/आपत्तियां आमन्त्रित की गयी थी।

उक्त के क्रम में कोई आपत्ति/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होने के कारण दिनांक 15.04.2021 को जारी अन्तरिम वरिष्ठता सूची को ही अंतिम वरिष्ठता सूची समझी जावें।


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/कनि. लेखाकार/वरिष्ठता/अलेसे-III/2021/ 426

दिनांक :- 25.06.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (कार्मिक-2/कार्मिक-3) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
4. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)/अति. निदेशक (कार्मिक-I/II) अनुभाग।
5. श्री.....कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय.....
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. उपनिदेशक (एसपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. गोपनीय अनुभाग/वरिष्ठता अनुभाग/ डीपीसी शाखा/जांच शाखा।
9. रक्षित/निजी पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)